# झारखण्ड विधान सभा

## अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
द्वादश (बजट) सत्र
वर्ग-02

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक 03 माघ, 1939 (श०) ..... को 23 जनवरी, 2018 (ई०) झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

| क्र० सं० | विभागों को संसूचित की गई सां०स० | सदस्यों का नाम | संक्षिप्त विषय | संबंधित विभाग | विभागो को भेजी गयी तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 44. | अ०सू०-06 | श्री योगेन्द्र प्रसाद | सीधी नियुक्ति एवं समान वेतन | स्कूली शिक्षा | 13/01/18 |
| 45. | अ०सू०-10 | श्री बिरंची नारायण | काम शुरू करवाना | पर्यटन एवं खेलकूद | 13/01/18 |
| 46. | अ०सू०-23 | श्री नारायण दास | संस्कृत विश्व विद्यालय की स्थापना | उच्च तकनीकी | 15/01/18 |
| 47. | अ०सू०-26 | श्री अमित कुमार | नियुक्ति करना। | स्कूली शिक्षा | 15/01/18 |
| 48. | अ०सू०-03 | श्री आलमगीर आलम | पेंशन की सुविधा देना। | स्कूली शिक्षा | 09/01/18 |
| 49. | अ०सू०-24 | श्री पौलुस सुरीन | पत्र निर्गत करना। | स्कूली शिक्षा | 15/01/18 |
| 50. | अ०सू०-11 | श्री बिरंची नारायण | संसाधन उपलब्ध कराना। | स्कूली शिक्षा | 13/01/18 |
| 51. | अ०सू०-15 | श्री अशोक कुमार | ठोस कदम उठाना | वन पर्यावरण | 13/01/18 |

क्र०पृ०30-

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52. | अ0सू0-05 | श्री सुखदेव भगत | अन्तर जिला स्थानान्तरण करना। | स्कूली शिक्षा | 10/01/18 |
| 53. | अ0सू0-07 | श्री योगेन्द्र प्रसाद | मुआवजा देना | वन पर्यावरण | 13/01/18 |
| 54. | अ0सू0-08 | श्री रवीन्द्रनाथ महतो | गृह जिला में स्थानान्तरण। | स्कूली शिक्षा | 13/01/18 |
| 55. | अ0सू0-09 | श्री अनन्त कुमार ओझा | क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करना। | स्कूली शिक्षा | 13/01/18 |
| 56. | अ0सू0-18 | श्री अरूप चटर्जी | जाँच समिति का गठन। | सूचना प्रौद्योगिकी | 15/01/18 |
| 57. | अ0सू0-02 | श्री आलमगीर आलम | पद सृजन कर बहाली करना। | स्कूली शिक्षा | 09/01/18 |
| 58. | अ0सू0-13 | श्री निर्भय कुमार शाहाबादी | सुविधाओं का लाभ देना। | स्कूली शिक्षा | 13/01/18 |
| 59. | अ0सू0-25 | श्री नलिन सोरेन | चिन्हित कर कार्रवाई करना। | स्कूली शिक्षा | 15/01/18 |
| 60. | अ0सू0-04 | श्री राधाकृष्ण किशोर | योजना का क्रियान्वयन कराना। | वन पर्यावरण | 10/01/18 |
| 61. | अ0सू0-01 | श्री अशोक कुमार | पद सृजन एवं समुचित व्यवस्था करना। | स्कूली शिक्षा | 08/01/18 |

राँची,
दिनांक- 23 जनवरी,2018 ई0।

विनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- प्रश्न 04/2015.....831...../वि0स0, राँची, दिनांक- 19/01/18

प्रति :- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/मा0 मुख्यमंत्री/ मा0 मंत्रिगण/ मा0 संसदीय कार्य मंत्री/ मा0 नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान-सभा/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
19/01/18
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

कृ0पृ030-

ज्ञाप सं0- प्रश्न-04/2015.....831...../वि0स0, राँची, दिनांक- 19/01/18

प्रति :- मा0 अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय/ अपर सचिव (प्रश्न)/ संयुक्त सचिव (प्रश्न), झारखण्ड विधान-सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/ प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
19/01/18
अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- प्रश्न-04/2015.....831...../वि0स0, राँची, दिनांक- 19/01/18

प्रति :- कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा, को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
19/01/18
अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

निरंजन

19.01.18

45

श्री बिरंची नारायण, स०वि०स० द्वारा पूछे गये अल्प–सूचित प्रश्न संख्या –10 का प्रश्नोत्तर:

| | प्रश्न | | उत्तर |
|---|---|---|---|
| | क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– | | मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार। |
| 1. | क्या यह बात सही है कि राज्य की कुल 12 प्राचीन इमारत व पुरातात्विक स्थल का चयन इनके संरक्षण हेतु किया गया था, और इनको केन्द्रीय संरक्षित इमारत के तौर पर अधिसूचित भी किया जा चुका है; | 1. | स्वीकारात्मक |
| 2. | क्या यह बात सही है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यहाँ खुदाई या संरक्षण का काम करना है, परन्तु उक्त 12 में से 7 स्थलों पर आज तक भी ए०एस०आई० को कब्जा नहीं मिला है, जिससे यहाँ खुदाई या संरक्षण का काम शुरू नहीं हो सका है; | 2. | स्वीकारात्मक |
| 3. | क्या यह बात सही है कि खुदाई या संरक्षण का काम न होने से झारखण्ड की विरासत या इसके महत्व व गौरव से झारखण्ड सहित देश भर के लोग अनजान है ; | 3. | स्वीकारात्मक<br>लेख, अभिलेख, शोध कार्य एवं इंटरनेट के द्वारा भी पुरातात्विक स्मारकों की जानकारी आम नागरिकों को उपलब्ध होती है। |
| 4. | यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ए०एस०आई० को उक्त स्थलों का कब्जा हस्तांतरण करवाकर इन 12 स्थलों पर खुदाई या संरक्षण का काम शुरू करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? | 4. | बारादरी एवं जामा मस्जिद के संरक्षण का कार्य किया गया है तथा शिवलिंग युक्त प्राचीन पाषाण मन्दिर, बेनी सागर सरोवर और मंदिर समूह, हाराडीह में उत्खनन एवं संरक्षण का कार्य किया गया है। शेष 7 स्थलों पर पुरातात्विक स्मारक के जमीन स्थानान्तरण एवं कब्जा हेतु ए०एस०आई० के स्तर से संबधित जिला के उपायुक्त को पत्र भेजा गया है। |

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/15/2018 148 /राँची, दिनांक 22/01/2018 /

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–355/वि०स०, दिनांक–13/01/2018 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/1/18

सरकार के संयुक्त सचिव

**श्री नारायण दास, स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-23**

| क्र0 | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1. | क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य की सांस्कृतिक राजधानी देवघर में जहाँ द्वादश ज्योतिलिंग बाबा बैधनाथ धाम स्थापित है, उस स्थान पर ऋषि-महात्माओं का आगमन एवं संस्कृति एवं वेद के मंत्रोच्चारण किये जाते हैं; | अंशतः स्वीकारात्मक है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि देवघर में संस्कृति विश्वविद्यालय की मांग देवघर जिला के साथ पूरे राज्य की यह माँग है कि देवघर में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय, क्योंकि यह राज्य की विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है; | अंशतः स्वीकारात्मक है। |
| 3. | यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार राज्य की सांस्कृतिक राजधानी, देवघर में संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना करने का विचार रखती है? हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों? | RUSA के तहत् बालानन्द संस्कृत महाविद्यालय, देवघर को उन्नयन कर बाबा बैधनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, देवघर को स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया था।<br>Project Approval Board (PAB) of RUSA की दिनांक-06.02.2017 को बैठक में RUSA का Norms का अनुपालन नहीं कर पाने की स्थिति में इसे अस्वीकृत कर दिया गया है। |

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि0स0-26/2018.171....../ राँची दिनांक-22.01.2018....../

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को पत्रांक-534 दिनांक-15.01.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.01.18

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

47

233
22/01/2018

श्री अमित कुमार, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ०सू०-26

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या-10/2017 द्वारा राज्य में +2 शिक्षकों के नियुक्ति हेतु परीक्षा ली जा रही है; | स्वीकारात्मक। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि उक्त नियुक्ति में क्षेत्रीय, जनजातिय भाषा एवं उर्दू भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति हेतु रिक्तियां नहीं दी गई है; | स्वीकारात्मक। |
| 3 | यदि उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन के माध्यम से नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ? | राज्य के सरकारी +2 विद्यालयों में केन्द्रीय विद्यालय संगठन की तर्ज पर अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल एवं वाणिज्य कुल 11 विषयों में ही शिक्षकों के पद स्वीकृत किये गये हैं तथा स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किये गये हैं।<br>राज्य के सरकारी उच्च विद्यालयों को ही +2 विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है। सरकारी उच्च विद्यालय में अन्य भाषाओं के साथ-साथ क्षेत्रीय, जनजातीय भाषा एवं उर्दू विषय के भी शिक्षक के पद आवश्यकतानुरूप स्वीकृत किये गये हैं। उच्च विद्यालय में क्षेत्रीय, जनजातीय भाषा एवं उर्दू विषय के उपलब्ध शिक्षक ही +2 विद्यालय में आवश्यकतानुसार पठन-पाठन करते हैं।<br>राज्य सरकार द्वारा +2 विद्यालयों में क्षेत्रीय, जनजातीय भाषा एवं उर्दू विषय के शिक्षक का पद सृजित नहीं किये गये हैं। संबंधित +2 विद्यालय के माध्यमिक शाखा में नियुक्त जनजातीय भाषा एवं उर्दू भाषा के शिक्षक ही +2 स्तर पर भी पठन-पाठन करते हैं। अलग से जनजातीय भाषा एवं उर्दू भाषा के पद सृजित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। |

22/01/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-37/2018 233 राँची, दिनांक 22/01/2018

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/01/18
सरकार के अवर सचिव।

220
22/01/2018

**श्री आलमगीर आलम, मा०स०वि०स० से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ०सू०-03**

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रस्वीकृति प्राप्त 186, मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों को गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों की भांति शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पेंशन की सुविधा प्रदान करने के लिए दिनांक 14.10.2014 को मंत्रिमण्डल द्वारा लिये गये निर्णय का अनुपालन अबतक नहीं किया गया है; | आंशिक स्वीकारात्मक। महालेखाकार द्वारा इस संदर्भ में उठायी गयी आपत्ति के कारण अनुपालन नहीं हुआ है। इस क्रम में कतिपय सेवा निवृत्त शिक्षकों इत्यादि द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि खण्ड एक में वर्णित विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पेंशन की सुविधा प्रदान करने के लिए 60 वर्ष की आयु सेवानिवृत्त किया जा रहा है, जबकि पूर्व में उनकी सेवानिवृत्त की आयु सीमा 62 वर्ष निर्धारित थी; | उक्त खण्ड-1 में अंकित है। |
| 3 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड एक में वर्णित विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पेंशन की सुविधा दिनांक 14.10.2014 को मंत्रिमण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? | कंडिका-1 के क्रम में संपूर्ण मामले की समीक्षा कर कार्रवाई की जायेगी। |

22/01/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-08/2018 220 रांची, दिनांक 22/01/2018

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/01/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री पौलुस सुरीन, स.वि.स. से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ.सू.–24

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| | क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- | डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार |
| 1. | क्या यह बात सही है कि जेटेट का परीक्षाफल निकले विगत तीन माह बीत गए है, परन्तु अभी तक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गयी है; | वस्तुस्थिति यह है कि जेटेट एक प्री–क्वालिफिकेशन है। नियुक्ति एक प्रक्रिया है। समय–समय पर नियुक्ति की जाती रही है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने के कारण खूँटी जिलाके कुदा पारिश, महुगाँव पारिश, तोरपा पारिश एवं डोइमा पारिश के विभिन्न प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में पूर्व के शिक्षक सेवानिवृत हो गये है, जिससेबच्चों को पठन-पाठन में काफी कठिनाई हो रही है; | अस्वीकारात्मक।<br>वस्तुस्थिति यह है कि इन विद्यालय के बच्चों का नामांकन नजदीक के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में करा कर पठन-पाठन सुचारू रूप से चल रहा है। |
| 3. | क्या यह बात सही है कि अधिसूचना संख्या–125, दिनांक 22.04.2016 के फोर्मेट में आरक्षण अल्पसंख्यक विद्यालयों में भी लागू किया गया है, जबकि अल्पसंख्यक विद्यालयों में आरक्षण के लिये अलग से पत्र निर्गत नहीं किया गया है; | विभागीय परिपत्र संख्या–709, दिनांक 04.03.1993 द्वारा पूर्व से ही इन विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु आरक्षण नियमों का प्रावधान है।<br>झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम–2001 की कंडिका–2 (ग) (ii) में भी यही प्रावधान है। |
| 4. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शिक्षकों की नियुक्ति करने एवं अल्पसख्यक विद्यालयों में आरक्षण के लिए अलग से पत्र निर्गत करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? | इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्डों में निहित है। |

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

**झारखण्ड सरकार**
**स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग**

ज्ञापांक 13/व2-09/2018......224......... राँची, दिनांक ......22/01/18....2018

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 527, दिनांक 15.01.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अकलीद 22/1/18
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री बिरंची नारायण, स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या- अ.सू.-11

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| | क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- | डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार |
| 1. | क्या यह बात सही है कि राज्य के सरकारी और प्राईवेट स्कूलों के मध्य एकसमान शिक्षा व्यवस्था नहीं है, जहाँ एक और प्राईवेट स्कूलों में शिक्षा के अत्याधुनिक संसाधन मौजूद है, वही सरकारी स्कूलों में इन अत्याधुनिक संसाधनों की भारी कमी है? | वस्तुस्थिति यह है कि आर.टी.ई. एक्ट-2009 के लागू होने के बाद प्राइवेट स्कूल को निबंधित होना है। निबंधन नहीं होने के कारण तुलनात्मक ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि राज्य के जितनेभी विद्यालय सरकार द्वारा संचालित है, वहाँ न तो अब तक स्मार्ट क्लास उपलब्ध हो पाए है और न ही अब तक ये आऑनलाइन हो पाए है, साथ ही यहाँ विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षकों और कर्मियों की भी कमी है? | आंशिक स्वीकारात्मक।<br>राज्य सरकार विद्यालयों में चरणबद्ध रूप से अत्याधुनिक संसाधन उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है, जिसकेतहत राज्य के कई विद्यालयों में स्मार्ट क्लास संचालित हैं। लगभग 434 विद्यालयों में कम्प्यूटर आधारित कक्षाएँ संचालित है। लगभग 203 आवासीय विद्यालयों में जिसमें वाई-फाई आदि की सुविधा उपलब्ध है। उपस्थित विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षकों की संख्या कई विद्यालयों में अनुकूल है। इस क्रम में सभी विद्यालयों में विद्युतीकरण की व्यवस्था की जा रही है। सभी विद्यालयों में एक-एक टैब दिया जा रहा है। |
| 3. | क्या यह बात सही है कि उक्त कारणों से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्राईवेट स्कूल के विद्यार्थियों की तुलना में हमारे सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के चयन का अनुपात काफी कम है? | ऐसा आँकड़ा का संकलन विभाग द्वारा नहीं किया गया है। |
| 4. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य में समान शिक्षा व्यवस्था लागू करवाने के उद्देश्य से राज्य में संचालित सभी सरकारी स्कूलों में प्राईवेट स्कूलों की तर्ज पर स्मार्ट क्लास स्थापित करवाकर उनको ऑनलाइन करवाते हुए, वहाँ सभी अत्याधुनिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्डों में निहित है। |

अकु सिंह

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 13/व2-07/2018.....224......... राँची, दिनांक ....22/01/....2018

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 354, दिनांक 13.01.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

52

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री सुखदेव भगत, स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या- अ.सू.-05

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| | क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- | डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार |
| 1. | क्या यह बात सही है कि सरकार ने 2015-16 में नियुक्त वर्ग 1-5 (4200 ग्रेड पे) एवं वर्ग 6-8 (4600 ग्रेड पे) के सहायक शिक्षकों का अंतर जिला स्थानान्तरण हेतु आवेदन मांगा था; | अस्वीकारात्मक। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि अभी तक लगभग 4000 शिक्षकों का अंतर जिलास्थानान्तरण आवेदन जिला शिक्षा अधीक्षक के माध्यम से निदेशक कार्यालय, राँची में पहुँचा है तथा बहुत सारे जिलों में अभी भी जिलाशिक्षा अधीक्षक के कार्यालय में अंतर जिला स्थानान्तरण आवेदन जमा है; | अस्वीकारात्मक। |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो, क्या सरकार शिक्षकों के अंतर जिला स्थानान्तरण करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? | नई स्थानान्तरण नीति का गठन प्रक्रियाधीन है। |

अवर सचिव
22/1/18
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 13/व2-04/2018 219 राँची, दिनांक 22/01/2018

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 154, दिनांक 10.01.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव
22/1/18
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

53

श्री योगेन्द्र प्रसाद, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–23.01.2018 को पूछे जानेवाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–07 का उत्तर :–

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| (1) क्या यह बात सही है कि वन्य प्राणी/जानवर जैसे–हाथी, बाघ, भालू, सुअर आदि जंगली जीवों के द्वारा आंशिक क्षति एवं मृत्यु होने पर वन विभाग द्वारा मुआवजा दिया जाता है ; | स्वीकारात्मक।<br>वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार का संकल्प संख्या–3906 दिनांक–18.09.2017 द्वारा निर्धारित दर पर वर्तमान में झारखण्ड राज्य में जंगली जानवरों द्वारा जान–माल की क्षति हेतु मुआवजा का भुगतान किया जाता है। |
| (2) क्या यह बात सही है कि विषैले सर्प भी जंगली जीवों की सूची में आते है ; | जंगली जानवरों को वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 में परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम में विषैले सर्पों को सामान्य रूप से जंगली जानवरों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। परन्तु सर्पो की कतिपय प्रजातियों को वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत् अनुसूची 1, 2 एवं 4 में सम्मिलित कर जंगली जानवर माना गया है। |
| (3) क्या यह बात सही है कि सर्प दंश से मृत्यु होने पर मुआवजा देने का कोई प्रावधान अभी तक वन विभाग द्वारा नही किया गया है ; | स्वीकारात्मक। |
| (4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वन अधिनियम क्षतिपूर्ति कानून को संशोधित करते हुए सर्पदंश से होने वाली मृत्यु के लिए मुआवजा देने का विचार का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | विभागीय संकल्प संख्या–3906 दिनांक–18.09.2017 के आलोक में मानव-व वन्य प्राणियों के द्वन्द के कारण हुई क्षति की क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा भुगतान किया जाता है। वर्तमान में सर्पदंश से होने वाली मृत्यु के लिए मुआवजा भुगतान संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। |

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/विधानसभा अल्प–सूचित प्रश्न–11/2018– 335 व०प०, राँची, दिनांक– 20/01/2018

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं०–346 दिनांक–13.01.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(आलोक कुमार) 20/01/2018
सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री रवीन्द्रनाथ महतो, स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या- अ.सू.-08

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| | क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- | डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार |
| 1. | क्या यह बात सही है कि वर्ष 2015-16 के प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में प्राथमिक शिक्षकों को गृह जिलामें ही पदस्थापन का नियम है, और नियुक्ति के बाद सभी शिक्षक अपने गृह जिलामें पदस्थापित है; | वस्तुस्थिति यह है कि यह जिला संवर्ग है। प्रत्येक इच्छुक अभ्यर्थी अपनी इच्छानुसार जिलाका चयन कर आवेदन कर्त्ता हैं तथा सभी अर्हता पूर्ण होने पर नियुक्ति की जाती है। इस तरह सभी अपने-अपने अवेदित जिलों में ही नियुक्त एवं कार्यरत है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि पुनः 2015-16 के प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में सभी नव प्राथमिक शिक्षक अन्य जिलामें पदस्थापित है; | उपरोक्त कंडिका-1 में स्थिति स्पष्ट है। |
| 3. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित नियमावली के तहत वर्तमान में अन्य जिलामें पदस्थापित नव शिक्षकों को अपने गृह जिलामें स्थानान्तरण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? | इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्डों में निहित है। |

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 13/अ.4-01/2018....230..... /राँची, दिनांक .....22/01/....2018

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 351, दिनांक 13.01.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

**श्री अनन्त कुमार ओझा, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0-09**

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| | **क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-** | **डॉ0 नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार** |
| 1. | क्या यह बात सही है कि साहेबगंज उत्तरी संथाल परगना का सुदूरवर्त्ती जिला है, जहां से दुमका की दूरी 160 कि0मी0 है । | स्वीकारात्मक है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि साहेबगंज मुख्यालय में झारखण्ड अधिविद्य परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की मांग छात्र-छात्राओं द्वारा झारखण्ड अधिविद्य परिषद, रांची तथा दुमका स्थित प्रमण्डलीय कार्यालय के स्थापना के बाद से ही की जाती रही है । | वस्तु स्थिति यह प्रतिवेदित है कि झारखण्ड अधिविद्य परिषद के माननीय सदस्य - वर्त्तमान माननीय विधायक राजमहल है । यह मांग उठाया जाता है । |
| 3. | क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला मुख्यालय में झारखण्ड अधिविद्य परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव विभाग के पास लंबित है । | झारखण्ड अधिविद्य परिषद का गठन, झारखण्ड अधिविद्य परिषद अधिनियम, 2002 द्वारा गठित है तथा संशोधन, 2006 में किया गया है । इसके तहत रांची में मुख्यालय तथा दुमका में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित है । |
| 4. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार साहेबगंज मुख्यालय में झारखण्ड अधिविद्य परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की स्वीकृती देने का विचार रखती है, हॉं तो कब तक, नही तो क्यों | उक्त वर्णित स्थिति में प्रस्ताव विचारणीय नहीं है । वर्त्तमान में परिषद के प्रायः कार्य जो छात्रों से संबंधित है, ऑनलाइन हो चुका है । इस तरह छात्र/छात्राओं का परीक्षा इत्यादि संबंधित कार्य में कोई बाधा नहीं है । |

18/1/18
सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-09/JAC-01/2018....37............/ रांची, दिनांक 20.01..............2018

**प्रतिलिपि:** अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 350, दिनांक 13.01.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/1/18
सरकार के उप सचिव

224
22/01/2018

**श्री आलमगीर आलम, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-02**

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| 1 | क्या यह बात सही है कि राज्य में +2 विद्यालयों में शिक्षक बहाली के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर प्रशिक्षित एवं उच्च विद्यालयों में शिक्षक बहाली के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक प्रशिक्षित निर्धारित है; | स्वीकारात्मक। |
| 2 | क्या यह बात सही है कि राज्य के +2 विद्यालयों में उर्दू विषय के शिक्षक का पद सृजित पद सृजन नहीं किये जाने के कारण उर्दू विषय के शिक्षक नहीं है, जबकि +2 विद्यालयों में उर्दू भाषा छात्र अध्ययनरत है; | स्वीकारात्मक। |
| 3 | क्या यह बात सही है कि राज्य के +2 विद्यालयों में उर्दू विषय के शिक्षक नहीं रहने के कारण उच्च विद्यालय में उर्दू विषय के उपलब्ध शिक्षक ही पठन-पाठन करते हैं; | स्वीकारात्मक। |
| 4 | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के +2 विद्यालयों में उर्दू विषय के शिक्षक का पद सृजन कर बहाली करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? | राज्य के सरकारी +2 विद्यालयों में अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल एवं वाणिज्य कुल 11 विषयों में ही शिक्षकों के पद स्वीकृत किये गये हैं तथा स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किये गये हैं।<br><br>खण्ड-3 के प्रश्न से ही स्पष्ट है कि उच्च विद्यालय के शिक्षक ही +2 विद्यालय में उर्दू विषय का भी पठन-पाठन कराते हैं। अलग से +2 विद्यालय में उर्दू शिक्षक का पद सृजन का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। |

Singh Deo
22/01/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-07/2018 224 राँची, दिनांक 22/01/2018

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Singh Deo
22/01/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या- अ.सू.-13

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| | क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: - | डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार |
| 1. | क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को मध्याह्न भोजन, कॉपी, किताब, स्कूल युनिफोर्म के साथ-साथ साईकिल वितरण की जाती है; | स्वीकारात्मक। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 अंतर्गत सभी निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत गरीब बच्चों का नामांकन लेना अनिवार्य कर दी गई है; | स्वीकारात्मक। |
| 3. | क्या यह बात सही है कि खण्ड-2 में वर्णित बच्चों को सरकार द्वारा खण्ड-1 में वर्णित सुविधाओं का लाभ नहीं दी जाती है, जिसके कारण कई बच्चों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है? | वस्तुस्थिति यह है कि दोनों योजनाएँ पृथक-पृथक है। मध्याह्न भोजन, किट, स्कूल यूनिफोर्म सिर्फ सरकारी विद्यालयों एवं सरकार द्वारा अनुदानित विद्यालयों में ही लागू है। निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले बी.पी.एल. श्रेणी के 25 प्रतिशत छात्र-छात्राओं के शिक्षण शुल्क के रूप में प्रति छात्र-प्रति माह 425/- रुपये का भुगतान करने का प्रावधान है। |
| 4. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में खण्ड-2 में वर्णित बच्चों को भी खण्ड-1 में वर्णित सुविधाओं का लाभ देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्डों में निहित है। |

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 17/वि.2-03/2018.....223..... राँची, दिनांक .....22/1/.....2018

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 353, दिनांक 13.01.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/1/18

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री नलिन सोरेन, स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या- अ.सू.-25

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| | क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- | डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार |
| 1. | क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने किताबों की छपाई के टेंडर में होनेवाली गड़बड़ी को देखते हुए अप्रैल 2015 में टेक्स्ट बुक कारपोरेशन के गठन हेतु निर्णय लिया था; | अस्वीकारात्मक। प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय नहीं किया गया। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् की राज्य कार्यकारिणी समिति ने भी जुन 2015 में स्वीकृति प्रदान की थी तथा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया था; | आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् की राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा 25 मार्च 2015 को झारखण्ड राज्य पाठ्य-पुस्तक निगम के गठन के प्रस्ताव पर सहमति दी गई थी। |
| 3. | क्या यह बात सही है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क किताब उपलब्ध कराने के प्रक्रिया के तहत टेंडर घोटाला प्रकाश में आया है तथा प्रकाशकों से वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक करोड़ों रुपये जुर्माने की राशि प्रकाशकों व अन्य से अब तक वसुली नहीं की गयी है; | वस्तुस्थिति यह है कि कक्षा 1 से 8 तक के पाठ्य-पुस्तकों के मुद्रकों द्वारा निर्धारित तिथि के उपरान्त पाठ्य-पुस्तकों की आपूर्ति करने के कारण निविदा में दिए गए विलंब दण्ड के अनुसार राशि की कटौती की जाती है। |
| 4. | यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार टेक्स्ट बुक प्रस्ताव के आलोक में टेक्स्ट बुक कारपोरेशन का गठन तथा प्रकाशकों व अन्य से जुर्माने की रकम अब तक वसुली नहीं करने वाले दोषियों को चिन्हित्त कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक, नहीं तो क्यों ? | इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्डों में निहित है। |

(हस्ताक्षर) 28/1/18

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक .....228..... राँची, दिनांक ....22/01/.....2018

प्रतिलिपि अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 597, दिनांक 15.01.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(60)

श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.01.2018 को पूछे जानेवाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–04 का उत्तर :–

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| (1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य का कुल क्षेत्रफल में से 23605 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र वनो से अच्छादित है ; | अस्वीकारात्मक है।<br>भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा 2015 में प्रकाशित रिर्पोट के अनुसार झारखण्ड राज्य का वनावरण 23,478 वर्ग कि0मी0 है। |
| (2) क्या यह बात सही है कि वन क्षेत्र में अवस्थित गाँवों में अधिकांशतः आदिम जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के लोग निवास करते है, आजादी के 70 वर्षों के बाद भी इन गाँवों में रहने वाले लोग सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है ; | आंशिक स्वीकारात्मक है।<br>स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने प्रतिवेदित किया है कि प्रखण्ड स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्वास्थ्य उप केन्द्रों द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।<br>कल्याण विभाग ने प्रतिवेदित किया है कि वन क्षेत्र में अवस्थित ऐसे गाँव जहाँ अति कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) निवास करते हैं, उन गाँवों में प्राथमिकता के आधार पर Conservation Cum Development (CCD) योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता देते हुए बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा सकता है। वन क्षेत्र के गाँवों, जहाँ वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सामुदायिक दावों के विरुद्ध अगर सामुदायिक पट्टा प्रदान की गई है तो वैसे गाँवों में भी बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा सकता है।<br>ऊर्जा विभाग ने प्रतिवेदित किया है कि वन क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिमी सिंहभूम जिला के 38 ग्रामों, लातेहार जिला के 45 ग्रामों, गुमला जिला के 55 ग्रामों एवं गढ़वा जिला के 12 ग्रामों का विद्युतीकरण माह दिसम्बर, 2017 तक किया जा चुका है, उनके बचे टोलों का विद्युतीकरण कार्य किया जा रहा है, जिसे पूर्ण करने का लक्ष्य जून, 2018 है। इसके अतिरिक्त वैसे गाँव जहाँ लाईन बनाना संभव नहीं था, 248 गाँवों का विद्युतीकरण सोलर सिस्टम के माध्यम से जरेडा द्वारा किया गया है।<br>पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने प्रतिवेदित किया है कि राज्य के आदिम जनजाति/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों में पेयजलापूर्ति उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में है। विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में वहाँ की आवासित SC/ST आबादी भी लाभान्वित होती है। विभाग द्वारा गत वर्ष से अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/आदिम जनजाति बहुल्य क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति हेतु कुल 77 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है।<br>पथ निर्माण विभाग ने प्रतिवेदित किया है कि वन क्षेत्र में पथों का निर्माण वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के ऐसे कार्यों हेतु विहित प्रक्रिया अपनाकर की जाती/जा रही है।<br>ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) ने प्रतिवेदित किया है कि वन क्षेत्र के अधीन पड़ने वाले पथों के निर्माण हेतु मा0स0वि0स0 से अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय नीति, बजटीय उपबंध तथा वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जाती है। |

| | |
|---|---|
| (3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वन क्षेत्र के अन्तर्गत अवस्थित गाँवों में माईक्रोप्लान तैयार कर खण्ड–II में वर्णित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ? | इस वित्तीय वर्ष 2017–18 में लगभग 100 वनों के संरक्षण एवं विकास हेतु ग्राम वन समितियों के सहयोग से सूक्ष्म योजना का सूत्रण की पहल की जा रही है, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों को वन विकास एवं अन्य संबंधित योजनाओं का लाभ प्रावधानित होंगे। इन सुक्ष्म योजनाओं में अन्य विभागों के कार्यक्षेत्र में आनेवाले कार्यों के लिए संबंधित विभाग से अनुरोध किया जायेगा। |

**झारखण्ड सरकार**

**वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग**

ज्ञापांक–5/विधानसभा अल्प–सूचित प्रश्न–05/2018– 336 व0प0, राँची, दिनांक– 20/01/2018

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–171 दिनांक–11.01.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

22/01/2018

(आलोक कुमार)
सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री अशोक कुमार, स.वि.स. से प्राप्त अल्प सूचित प्रश्न संख्या– अ.सू.–01

| क्रमांक | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| | क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- | डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार |
| 1. | क्या यह बात सही है कि राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में कम्प्यूटर विज्ञान विषय के पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है; | वस्तुस्थिति यह है कि प्रारंभिक शिक्षा 'निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009' के अंतर्गत संचालित है। इसमें बेसिक भाषा, गणित, विज्ञान एवं सामाजिकविज्ञान की प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है। |
| 2. | क्या यह बात सही है कि आज के दौर में हर क्षेत्र के लिए कम्प्यूटर विज्ञान की आवश्यकता है; | वस्तुस्थिति स्पष्ट है। |
| 3. | यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में कम्प्यूटर विज्ञान विषय के शिक्षकों का पद सृजन कर विद्यालयों में आवश्यक उपकरण की व्यवस्था करते हुए कम्प्यूटर विज्ञान विषय की पढ़ाई प्रारंभ कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? | वस्तुस्थिति उपरोक्त कंडिका–1 में स्पष्ट है। |

अवधेश सिंह
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 13/व2-02/2018 .....225..... राँची, दिनांक ...22/01/.....2018

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 49, दिनांक 08.01.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवधेश सिंह
22/1/18
सरकार के अवर सचिव

Khurshid